सं0-31/2016/172/12-3-2016-100(61)/2012टी.सी.

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-3 **लखनऊ:: दिनांक: 14 मार्च, 2016**

विषयः- कृषि विभाग की वेबसाइट का नवीनीकरण एवं विकास कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष यू. पी. डेस्को को रू0-22.00 लाख अग्रिम भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्रांक-कम्प्यूटर-272/वेबसाइट, दिनांक 06.11.2015 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-7/269/12-5-2015-37/2015, दिनांक 08.4.2015 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि विभाग की वेबसाइट का नवीनीकरण एवं विकास कराये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष यू. पी. डेस्को को रू0-2200 हजार (रू0 बाईस लाख मात्र) की धनराशि अग्रिम के रूप में उपलब्ध कराये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनराशि को यू. पी. डेस्को को अग्रिम के रूप में उपलब्ध कराये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनांक 25.10.1983 एवं शासनादेश संख्या-ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69, दिनांक 10.6.2011 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि अग्रिम आहरित कर यू. पी. डेस्को को उपलब्ध करायी गयी उक्त धनराशि रू0-22.00 हजार का व्यय नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा यू0पी0डेस्कों के पत्र संख्या-3767, दिनांक 01.03.2014 तथा दिनांक 12.6.2015 के अनुसार कम्प्यूटर उपकरणों/संयत्रों पर व्यय किया जायेगा।

4- धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक जो ब्याज अर्जित होगा, उसे राजकोष में जमा कराये जाने का दायित्व कृषि विभाग का होगा।

5- वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

6- क्रय किये जाने वाले उपकरणों की गुणवत्ता एवं दर सुनिश्चित करने का दायित्व क्रेता विभाग (कृषि विभाग) का होगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- अग्रिम के रूप में स्वीकृत उक्त धनराशि का समायोजन दिनांक 31.3.2016 तक अवश्य करा लिया जायेगा।

8- उक्त धनराशि का आहरण वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-001-निदेशन तथा प्रशासन-03 कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान योजना में मानक मद 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर का क्रय में स्वीकृत की गयी धनराशि से किया जायेगा।

9- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-एफ.ए.-1-102/दस-2016, दिनांक 10 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल)
विशेष सचिव।

<u>सं0-172(1)/12-3-2016-तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,(लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय ,उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2. महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय ,उ0प्र0 इलाहाबाद
3. प्रबन्ध निदेशक, यू. पी. डेस्को, लखनऊ।
4. कोषाधिकारी, जवाहर भवन,लखनऊ।
5. नोडल अधिकारी, ऑनलाइन मानीटरिंग, कृषि भवन, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, कृषि भवन,लखनऊ ।
7. अपर कृषि निदेशक (प्रसार) कृषि भवन, लखनऊ ।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
9. कम्प्यूटर सहायक, कृषि अनुभाग-3 (शासनादेश ऑनलाइन हेतु)
10. गार्ड बुक कृषि अनुभाग-3

आज्ञा से,

(विनय शंकर पाण्डेय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in